भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4026

दिनांक 24 मार्च, 2023 को उत्तर के लिए

योजनाओं का नाम बदलना

4026. श्री नकुल के. नाथ:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2014 के बाद सरकार द्वारा मंत्रालय की किन-किन योजनाओं का नाम बदला गया है; और

(ख) वर्ष 2014 के बाद इन योजनाओं के लिए बजट के आवंटन का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) : बेहतर कार्यान्वयन और कुशल निगरानी के लिए देश में मंत्रालय की कार्यान्वित सभी स्कीमों को 3 कार्य-क्षेत्रों में सम्मिलित किया गया है : जैसे (1) देश में पोषण संकेतकों में सुधार के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (2) महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण के लिए मिशन शक्ति और (3) बच्चों के संरक्षण और कल्याण के लिए मिशन वात्सल्य :

i. **सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0** : कार्यक्रम के तहत, आंगनवाड़ी सेवा स्कीम, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए स्कीम को तीन मुख्य क्षेत्रों में पुनर्गठित किया गया है : (i) पोषण और किशोरियों के लिए पोषण सहायता (ii) पूर्व बाल्य अवस्था देखरेख और शिक्षा [3 से 6 वर्ष] और (iii) आधुनिक, अपग्रेडेड सक्षम आंनगवाड़ियों सहित आंगनवाड़ी अवसंरचना।

ii. **मिशन शक्ति :** मिशन शक्ति स्कीम में क्रमश: महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा और सशक्तीकरण के लिए 2 उप-स्कीमें 'संबल' और 'सामर्थ्य' हैं। वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन (181-डब्ल्यूएचएल) और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वर्तमान स्कीमों को उप-स्कीम संबल का हिस्सा बनाया गया है; जबकि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), उज्ज्वला, स्वाधार गृह (नया नाम शक्ति सदन) और कामकाजी महिला हॉस्टल (नया नाम सखी निवास) और राष्ट्रीय क्रेच स्कीम (नया

नाम पालना) सहित वर्तमान स्कीमों को 'सामर्थ्य' उप-स्कीम में शामिल किया गया है। महिला सशक्तीकरण केंद्र के नए घटक को 'सामर्थ्य' उप-स्कीम में शामिल किया गया है।

iii. **मिशन वात्सल्य :** समेकित बाल संरक्षण स्कीम को मिशन मोड में देखरेख के जरूरतमंद बच्चों के लिए बेहतर आउटरीच के लिए मिशन वात्सल्य नया नाम दिया गया है जिसका उद्देश्य (i) संकटग्रस्त परिस्थितियों में बच्चों को सहायता और सहारा देना (ii) विविध पृष्ठभूमि के बच्चों के समग्र विकास के लिए संदर्भ आधारित समाधान विकसित करना (iii) नवाचार समाधानों को प्रोत्साहित करने के लिए हरित क्षेत्र परियोजनाओं के लिए स्कोप प्रदान करना (iv) आवश्यकतानुसार अंतराल वित्त पोषण के माध्यम से अभिसरण कार्रवाई को भरना।

(ख) : जारी निधियों का स्कीम-वार विवरण **अनुलग्नक** में है।

****

अनुलग्नक

मंत्रालय की स्कीमों के तहत जारी की गई निधियों का विवरण

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	स्कीम	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1.	आंगनवाड़ी सेवाएं	15433.09	14433.19	15155.4	16814.78	16893.55	15784.41
2.	पोषण अभियान	20.83	35.64	519.51	2551.01	1880.09	408.27
3.	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	233.37	75.45	2048.31	1054.88	2238.97	1112.13
4.	किशोरियों के लिए स्कीम	475.21	482.03	450.63	205.01	105.46	40.82
5.	बाल संरक्षण सेवाएं	496.84	576.98	637.81	915.69	865.83	846.63
6.	राष्ट्रीय क्रेच स्कीम	133.02	124.62	48.79	29.77	47.77	11.60
7.	स्वाधार गृह	48.13	83.69	57.20	24.50	25.49	24.40
8.	उज्जवला	19.94	20.32	24.56	6.43	9.35	8.00
9.	कामकाजी महिला छात्रावास	12.19	23.13	26.96	30.34	32.55	19.51
10.	बेटी बचाओ बेटी पढाओ (बीबीबीपी)	59.37	28.66	169.10	244.73	85.78	60.56
11.	महिला हेल्पलाइन	15.12	0.85	7.64	11.89	11.34	12.53
12.	वन स्टाप सेंटर	10.35	40.24	30.10	149.27	137.59	159.78
13.	निर्भया फंड से पोषित अन्य स्कीमें	-	191.76	114.69	1.94	0.04	0.10

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	मिशन	2021-22	2022-23 (22.03.2023 तक)
1.	सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0	18381.74	16560.94
2.	मिशन वात्सल्य	761.09	760.51
3.	मिशन शक्ति	1912.38	1928.83